



सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O, BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 901/Type Approval No.: 901

नवीकरण सं./Renewal No.:03 / संशोधन सं. /Amendment No.:01

विषय/Sub: कैट्रिज पीपीएल-टी, पार्ट सं. 312के/88
Cartridge PPL-T, Part No. 312K/88

यह घोषित किया जाता है कि आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट (ए आर डी ई), डी आर डी ओ, पाषाण, पुणे-411 021, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा प्रारंभ में उत्पादित और वर्तमान में आर्डनेंस फैक्टरी, खमरिया, जबलपुर - 482 005 द्वारा उत्पादित "कैट्रिज पीपीएल-टी", पार्ट सं. 312के/88 को अनुमोदित कम्पोनेंट बिल्ड स्टैंडर्ड (एसीबीएस) संदर्भ सं.: एआरडीई/2271, दिनांक 19/03/2020 और आर सी एम ए (एए) द्वारा निर्धारित तकनीकी विनिर्देश सं. एआरडीई/एसपीईसीएन/505 एंड 506 और क्वालिफिकेशन टेस्ट आवश्यकताओं के अनुकूल वर्ग अनुमोदित/नवीकृत किया जाता है। इस वर्ग अनुमोदन का आधार और संगत उडनयोग्यता अनुमोदन सूचना वर्ग अनुमोदन डेटा शीट के परिशिष्ट 'ए' / प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन दस्तावेज में विवरित किया गया है।

This is to state that "Cartridge PPL-T" bearing Part No.312K/88, designed, developed and initially manufactured by Armament Research & Development Establishment (ARDE), Pashan, Pune - 411 021 and presently being manufactured by Ordnance Factory, Khamaria, Jabalpur-482005 is hereby Type Approved/ renewed as per the Approved Component Build Standard (ACBS) defined vide Ref. No.: ARDE/2271 dated: 19/03/2020, and conforms to Technical Specification No.: ARDE/SPECN/505 & 506 and Qualification Test Requirements approved by RCMA (AA). The basis for this Type Approval and the relevant Airworthiness Approval information are described in the 'Type Approval Data Sheet' at Appendix A/ Initial TA document.

यह अनुमोदन निबंधन और शर्तों के अधीन तथा पृष्ठ के दूसरी ओर उल्लेखित संशोधन सहित नवीकरण विवरणों के अनुसार जारी/नवीकृत किए गए दिनांक से (01-08-2020 से 31-07-2025 तक) पाँच(05) वर्ष के लिए वैध है।

This approval is valid for a period of five (05) years from the date of issue/ renewal (from 01-08-2020 to 31-07-2025) subject to terms, conditions and renewal cum amendment details mentioned overleaf.


सं. /No.: सेमिलैक /CEMILAC/5070/टीए/TA-901

दिनांक / Date : 15th August 2020

फैक्ससं. / Fax No.: 080-2523 0856

sp jr

Format as per: CEMILAC/TCS/5070, dated: 22nd March 2019


ए. पी. वी. एस. प्रसाद /A.P.V.S. Prasad
उत्कृष्ट वैज्ञानिक /Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)